IV 26/15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA NON

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CM 906350

ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड आज दिनॉक 07-नवम्बर 2015 को श्री अबूतालिब खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज द्वारा निष्पादित किया गया।

1– ट्रस्ट का नाम

एच. ए. एस.ग्रुप ऑफ एजूकेशनल ट्रस्ट

2– ट्रस्ट का पता

ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश

3– ट्रस्ट की शाखाऐ

ट्रस्ट की शाखाऐ ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार देश के अन्य स्थानो पर भी स्थापित की जा सकती है।

4– ट्रस्ट मे लगाया गया धन

ट्रस्ट मे लगाया गया धन मुबलिग 10,000/–रूपया नकद धनराशि श्री अबूतालिब खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गई है।

भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्व होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकारता है अथवा घोषित एंव स्वीकार करता है, सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियो के हित अथवा लाभ के लिये स्वीकार करेगा।

Abutalib Abutalib

46 04/11/015 1001

[illegible] एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] 100000/

[signature]

निब०शुल्क.....रुपए ... ... [illegible]
1001 401 1201 600

श्री/श्रीमती [illegible] पुत्र/पत्नी/विक्रेता [illegible]
निवासी [illegible] तह० [illegible]
जिला [illegible] के कार्यालय [illegible]
को समय मध्य.......
पंजीकरण प्रस्तुत किया।
03.11.15

[signature]

[signature]
उ०नि०
प्रतिपादी
03.11.15

इस लेखपत्र का निष्पादन [illegible] व समस्त
विषय लेख [illegible]
100000/ [illegible]
श्री/श्रीमती [illegible]
[illegible]

ने स्वीकार किया जिनकी पहचान श्री [illegible]
[illegible]

[signature]
03.11.15

[signature] [signature]

[illegible]

[illegible] साक्षी [illegible] के निशान [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 906351

5– ट्रस्ट के तत्व

मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वो पर आधारित है–
ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुडा होना स्वामित्व से आबद्व होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियो का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता/संस्थापक/मुख्यट्रस्टी अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्व करेगा।

इस प्रकार एक ट्रस्ट मे आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वो के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होगे–

1.अबूतालिब खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	मुख्य ट्रस्टी
2.मुर्शरफ खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	ट्रस्टी
3.अरशद खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	ट्रस्टी
4.अबू फारूख पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	ट्रस्टी
5.मुशीर पुत्र श्री मुसव्विर	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	ट्रस्टी

Abutalib

Abutalib

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CM 906352

6— ट्रस्ट के उद्देश्य—

1— ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा बच्चो का नैतिक ,सामाजिक, शारीरिक, बौद्विक, शैक्षिक, सॉस्कृतिक, चारित्रिक, एंव कलात्मक उन्नति का समुचित विकास करना।

2— ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के लिये कार्यक्षेत्र मे प्राइमरी से लेकर जूनियर, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एंव डिग्री कालेज स्तर तक के शिक्षा संस्थानो की स्थापना करना और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई., यू.जी.सी. शिक्षा पद्वति से संचालन करना।

3— ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च शिक्षा के विकास हेतु युवक—युवतियो के लिये आधुनिक शिक्षा पुरक शिक्षा संस्थानो, तकनीकी शिक्षा संस्थानो, इंजीनियरिग, औद्योगिक, व्यवसायिक, कृषि एंव प्रबन्ध शिक्षा संस्थानो, बी.टी.सी. व बी.एड.व एम.एड. शिक्षा हेतु शिक्षा संस्थानो की स्थापना कर संचालित करके उन्हे शिक्षित कर स्वाबलम्बी एंव आत्मनिर्भर बनाना।

4— ट्रस्ट का उद्देश्य समाज के पिछडे और उपेक्षित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को शैक्षिक एंव नैतिक स्तर पर शिक्षित कर स्वाबलम्बी बनाना और मदरसा स्तर पर दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिये मदरसा बोर्ड पद्वति के मदरसो /अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानो की स्थापना कर संचालन करना।

5— ट्रस्ट का उद्देश्य ट्रस्ट के नाम अथवा अन्य नामो से शिक्षण संस्थानो, धमार्थ संस्थाओ की स्थापना करना व उनका विधिवत प्रबन्ध संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 906353

6— ट्रस्ट का उद्देश्य निराश्रित बालक—बालिकाओ के कल्याण हेतु उन्हे शिक्षित करने हेतु आवासीय विधालय की स्थापना करना।

7— ट्रस्ट का उद्देश्य समय—समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमो, सत्संग, गोष्ठियो, जन जागृति कार्यक्रमो, एंव धमार्थ कार्यक्रमो का आयोजन कर समाज मे लोगो मे परस्पर प्रेम—एकता एंव भाईचारे एंव सहयोग की भावना पैदा करना और समाजिक कुरीतियो, अंधविश्वास को दूर करने के लिये जागृति पैदा करना।

8— ट्रस्ट का उद्देश्य परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा, दहेज पीडित महिलाओ, व समाज द्वारा शोषित महिलाओ को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराने मे मदद करना, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय/राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जाति—जनजाति आयोग, राष्ट्रीय/राज्य पिछडा वर्ग आयोग से सम्पर्क कर प्रभावित पक्ष को यथाविधिक सहायता प्राप्त करने मे मदद करना।

9— ट्रस्ट का उद्देश्य निराश्रित महिलाओ और अनाथ बच्चो के कल्याण के लिये समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित कर उन्हे लाभान्वित करना तथा निराश्रित बालक बालिकाओ के कल्याण हेतु उन्हे शिक्षित करने के लिये आवासीय विधालयो की स्थापना कर उन्हे संचालित करना।

10— ट्रस्ट का उद्देश्य बच्चो की सुविधा हेतु क्रीडा केन्द्र एंव व्यायामशाला , पुस्तकालय, वाचनालय, ओडीटोरियम एंव खेल साम्रिगी की व्यवस्था करना।

11— ट्रस्ट का उद्देश्य निर्धन बालक – बालिकाओ को केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागो व संसथाओ के सहयोग से सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई,बुनाई

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CM 906614

हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, कशीदाकारी, ड्राइंग पेंटिग प्रशिक्षण तथा टंकण एंव कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन्फोंमेशन टेक्नालॉजी प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमे जागरूकता पैदा करना।

12– ट्रस्ट का उद्देश्य समाज के उपेक्षित लोगो जैसे कुष्ठ रोगियो, अन्धे, मूक बधिर, विकलॉग व लाचार वृद्वजनो के कल्याण के लिये कार्य करना, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम और वृद्व आश्रम की स्थापना व नागरिको के कल्याण हेतु पुस्तकालय, छात्रावास, आश्रय स्थल,विकलॉग आश्रय, नारी उत्थान संस्थानो , सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से चिकित्यालय की स्थापना व विवाह स्थल की स्थापना करना तथा संचालन करना।

13– ट्रस्ट का उद्देश्य महिलाओ को शिक्षा एंव नारी अधिकारो के प्रति जागरूक करना ।

14– ट्रस्ट का उद्देश्य व्यक्तियो के लिये उपयोगी तथा आवश्यक ज्ञान एंव जानकारी का प्रचार व प्रसार करना।

15– ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से बच्चो का नैतिक, चारित्रिक , बौद्विक, मानसिक एंव शारीरिक विकास करना।

16– ट्रस्ट का उद्देश्य केन्द्र एंव राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रो के सर्वागीण विकास के लिये चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ को कार्यरूप मे साकार करना।

17– ट्रस्ट का उद्देश्य केन्द्र एंव राज्य सरकार, निगम, बोर्ड, सम्बन्धित विभागो के वित्तीय सहयोग से लोगो के कल्याण हेतु व उन्हे आत्मनिर्भर एंव स्वाबलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे – सिलाई, कढाई, बुनाइ, हस्तशिल्प कला, वास्तुकला, दस्तकारी, जरदोजी, दरी, कालीन,

Abutalib

Abutalib

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 906615

ड्राईग पेंटिग कला प्रशिक्षण, टंकण, आशुलिपि, एंव कम्प्यूटर हार्डवेयर एंव सॉफटवेयर , फैशन डिजाइनिग,ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलवाकर आत्मनिर्भर बनाना।

18– ट्रस्ट का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन के लिये लोगो को वृक्षारोपण,सौर ऊर्जा, पेयजल संरक्षण, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, मतस्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी व्यवसाय आदि के लिये जागरूक कर प्रशिक्षित करना।

19– ट्रस्ट का उद्देश्य जनता को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये प्रौढ शिक्षा, व्याख्यानो, निबन्ध प्रतियोगिता, प्रदर्शनियॉ, सॉस्कृतिक कार्यकमो , प्रेस सम्मेलनो और सेमीनारो द्वारा साक्षरता सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक गतिविधियो को उन्नत करना।

20– ट्रस्ट का उद्देश्य उपरोक्त शैक्षिक उद्देश्यो के अतिरिक्त तात्कालिक समय और परिस्थितियो को मद्देनजर रखकर शैक्षिक उद्देश्यो को बढाया जा सकता है और तात्कालिक समय मे प्रचलित शिक्षा एंवं व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ कर संचालित की जा सकती है।

21– ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसी अन्य व्यवस्थाये , कार्य व कियाकलाप करना जो आवश्यक हो और ट्रस्ट के शैक्षिक उद्देश्यो की पूर्ति मे सहायक हो को कियान्वित करना।

22– ट्रस्ट का उद्देश्य मुस्लिम अल्पसंख्यको के कल्याण के लिये संविधान के अनुच्छेद 19 व 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक स्कूलो, मदरसा, मकतुम उर्दू, अरबी, फारसी बोर्ड, फौकनिया आलिया की स्थापना करना व उनका संचालन कर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना।

23– ट्रस्ट का उद्देश्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एंव विकास निगम व वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओ और कार्यकमो का प्रचार प्रसार करना एंव संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CM 906616

29 OCT 2015

24– ट्रस्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 एक के अनुसार मुख्यतः मुस्लिम समुदाय के शिक्षा के प्रचार प्रसार व अन्य विकास कार्यो के लिये बनाया गया है अतः ट्रस्ट के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ को संचालित कर नागरिको का सर्वागीण विकास करना।

25– ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसी अन्य व्यवस्थाये, कार्य व कियाकलाप करना जो आवश्यक हो और ट्रस्ट के शैक्षिक उद्देश्यो की पूर्ति मे सहायक हो, को कियान्वित करना।

7– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष

8– ट्रस्ट के अधिकार एंव कर्तव्य

1– ट्रस्ट को अपने उद्देश्यो की पूर्ति के लिये शासकीय एंव अशासकीय स्त्रोतो से तथा अन्य वैध तरीको दान, चन्दा आदि से आर्थिक संग्रह करने का अधिकार होगा।

2– ट्रस्ट किसी भी चल एंवम अचल सम्पत्ति को केता के रूप मे अथवा दान के रूप मे ग्रहण कर सकेगा और आवश्यक होने पर न्यास ट्रस्टके हित मे विकय भी कर सकेगा।

3– ट्रस्ट अपने मे निहित किसी भी चल एंव अचल सम्पत्ति के रखरखाव, जीर्णोद्धार,नवनिर्माण एंव आवश्यकतानुसार परिवर्तन या अन्य किसी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था कर सकेगा ।

Abutalib Abutalib

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 280966

4– ट्रस्ट को आवश्यकतानुसार श्रमिक तथा कर्मचारियो को नियुक्त करने का अधिकार होगा तथा कार्यरत श्रमिको एंव कर्मचारियो की सेवाओ के संचालन हेतु नियम बनाने एंव समय समय पर नियमो मे आवश्यक परिवर्तन करने का और किसी विवाद की स्थिति मे निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5– ट्रस्ट अपने नियमो मे आवश्यकतानुसार संशोधन,परिवर्तन एंव परिवर्धन कर सकेगा ।

6– ट्रस्ट आवश्यकता होने पर एंव विभिन्न गतिविधियो को संचालित करने के लिये उपसमितियो का गठन कर सकेगा तथा उनके नियम व उपनियम बना सकेगा।

7– ट्रस्ट मे जनसामान्य द्वारा एंव ट्रस्टियो द्वारा दिया गया धन व दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैक मे खोले गये खाते मे तमा की जायेंगी जो जनहित एंव ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये खर्च की जायेगी उक्त धनराशि के लिये लेन देन करने/बैक खाता संचालित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव के एकाकी हस्ताक्षर ही होगे।

9– ट्रस्टियो की नियुक्ति

मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रबन्धक/सचिव को छोडकर शेष ट्रस्ट के पदाधिकारियो का मनोनयन/चयन प्रति पॉच वर्ष के लिये किया जायेगा निर्धारित पॉच वर्ष बाद पदाधिकारियो का मनोनयन/चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा । ट्रस्ट मे प्रबन्धक /सचिव का पद आजीवन मुख्यट्रस्टी के पास रहेगा ।

Abutalib

Abutalib

10– मुख्यट्रस्टी सहित ट्रस्टियो के उत्तराधिकार की रीति–

1–मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने अथवा शारीरिक रूप से आशक्त हो जाने की स्थिति मे उनका वरिष्ठ/बडा पुत्र उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से मुख्यट्रस्टी होगा इसी तरह इस पुत्र की मृत्यु हो जाने अथवा शारीरिक रूप से आशक्त हो जाने पर उसका वरिष्ठ/बडा पुत्र उत्तराधिकारी होगा । उत्तराधिकार का यह नियम पीढी दर पीढी इसी क्रम मे चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी पीढी मे कोई पुत्र नही होता है तो वरिष्ठ पुत्री उत्तराधिकारी होगी।

2– ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी सदस्य रहेगे उसके बाद उनके वंशज क्रमशः ज्येष्ठता क्रम के पुत्र ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी होगे।

11– ट्रस्ट की सदस्यता–

मुख्य ट्रस्टी की सहमति के बाद ही कोई भी व्यक्ति भविष्य मे 51,000/–की नकद धनराशि अथवा इतनी ही मूल्य की कोई अचल सम्पत्ति ट्रस्ट को देकर आजीवन ट्रस्टी सदस्य बन सकेगा लेकिन किसी को ट्रस्ट का सदस्य बनाने अथवा न बनाने मे मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम होगा जिसे किसी भी प्रकार से विधिक रूप से चुनौती नही दी जा सकेगी। ट्रस्ट मे कुल ट्रस्टियो की संख्या अधिकतम 11 तक रह सकेगी।

12– ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानो की प्रबन्ध समितियो मे नामित सदस्य–

ट्रस्ट द्वारा संचालित विधालयो,महाविधालयो, तकनीकी संस्थानो व अन्य संस्थाये जो ट्रस्ट द्वारा संचालित की जायेगी की प्रबन्धसमितियो मे मुख्य ट्रस्टी अनिवार्य रूप से आजीवन प्रबन्धक/सचिव पद के लिये भेजा जायेगा, प्रबन्धक / सचिव ही ऐसे विधालयो,महाविधालयो, तकनीकी संस्थानो सहित अन्य संस्थानो का प्रबन्धक या सचिव होगा, अन्य पदाधिकारियो और सदस्यो के लिये मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे ट्रस्टी सदस्यो मे से चुन सकेगा ऐसे ट्रस्टी सदस्य पदाधिकरियो एंव सदस्यो की कुल संख्या अधिकतम 07 होगी।

विशिष्ट सदस्य–

विभिन्न क्षेत्रो मे विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति पॉच वर्ष के लिये मुख्यट्रस्टी द्वारा विशिष्ट सदस्य नामित किये जा सकेगे । ऐसे विशिष्ट सदस्यो की अधिकतम संख्या 05 होगी।

ट्रस्ट के सृजनकर्ता अबूतालिब खॉ इस ट्रस्ट की प्रबन्धसमिति मे आजीवन प्रबन्धक/सचिव रहेगे, शेष पदाधिकरियो और सदस्यो को मुख्य ट्रस्टी द्वारा पॉच वर्ष के लिये संरक्षक व आजीवन ट्रस्टीगणो मे से ही नामित किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियो को पॉच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा पुनः आगामी पॉच वर्षो के लिये नामित किया जा सकता है।

13– ट्रस्टियो की संख्या–

Mustalib   Abutalib

ट्रस्टियो की संख्या अध्यक्ष को मिलाकर अधिकतम 07 हो सकेगी जिसमे वर्तमान मे निम्न पॉच पदाधिकारी व सदस्य रहेगे जिनका मनोयन/चयन मुख्यट्रस्टी द्वारा किया गया है प्रबन्धक/सचिव का पद आजीवन मुख्यट्रस्टी के पास रहेगा –

क्रम संख्या नाम	पता	पद	व्यवसाय
1:अरशद खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	अध्यक्ष	व्यापार
2.अबूतालिब खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	प्रबन्धक/सचिव	व्यापार
3.अबूफारूक खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	कोषाध्यक्ष	व्यापार
4.मुशर्रफ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	सदस्य	व्यापार
5.मुशीर पुत्र श्री मुसव्विर	निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज	सदस्य	व्यापार

14– ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकरियो के अधिकार एंव कर्तव्य–

अध्यक्ष–

1–समस्त प्रकार की सभाऔ की अध्यक्षता करना।

2–सभा मे किसी विषय पर बराबर मत की दशा मे अपना निर्णायक मत देना।

3– ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्‌देश्यो की पूर्ति एंव संस्था के विकास मे सहायक हो।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनके द्वारा लिखित रूप मे सौपे गये कार्य करना, सामान्य स्थितियो मे अध्यक्ष का सहयोग करना।

मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव –

1– ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, आवश्यक होने पर ट्रस्ट की मीटिग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यो तक पहुँचाना, मीटिग की कार्यवाही लिखना तथा ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी विधि सलाहकार के सहयोग से करना व करवाना।

2– ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमो की रूपरेखा व वार्षिक बजट तैयार कराना ।

3– ट्रस्ट के कार्यो की देखभाल करना व ट्रस्ट के वार्षिक हिसाब किताब आदि की आडीटर अथवा चार्टेड एकाउन्टेन्ट से जॉच कराना।

Abutalib

Abutalib

4– ट्रस्ट के समस्त अभिलेखो को अपने पास सुरक्षित रखना, एंव उनका समय समय पर निरीक्षण कराना।

5– ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शिक्षा संस्थानो, कालेजो, व अन्य इकाईयो, धमार्थ संस्थानो मे कार्यरत कर्मचारियो सेवादारो एंव कार्यकर्ताओ की नियुक्ति या निष्कासन, पदोन्नति एंव पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसके भुगतान की व्यवस्था करना।

6– ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजो,ऋण अनुदान पत्रो, चैको, ड्राफ्ट, बन्धक विलेख, बिल, आदि पर हस्ताक्षर करना। ट्रस्ट हित मे विकय की दशा मे बिकय विलेख पर हस्ताक्षर करना।

7– ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक मे खोले गये खाते मे शासकीय एंव अशासकीय स्त्रोतो से तथा अन्य वैध तरीको जनसामान्य द्वारा एंव ट्रस्टियो द्वारा दिया गया धन व दान, चन्दा आदि से प्राप्त आर्थिक संग्रह की धनराशि जमा की जायेगी जो जनहित एंव ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये खर्च की जायेगी उक्त धनराशि के लिये लेन देन करने/बैंक खाता संचालित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के एकाकी हस्ताक्षर ही होगे। ट्रस्ट हित मे आकस्मिक व्यय हेतु 10,000/–की धनराशि अपने पास नकद रखना और व्यय करना।

8–कल्याणकारी कार्यकमो के लिये परियोजना तैयार करना और उसे सम्बन्धित विभाग से स्वीकृति के लिये भेजना, शिक्षण संस्थानो की मान्यता, सम्बद्वता सम्बन्धी आदि कार्यो के सम्बन्ध मे पत्राचार करना व सम्बन्धित विभागो, विश्वविधालयो, शासन आदि से सम्पर्क स्थापित कर सम्बद्वता प्राप्त करना।

9– ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना,दान, अनुदान ,चन्दा आदि प्राप्त करना और उसकी रसीद पर हस्ताक्षर कर देना।

10–मुख्य ट्रस्टी किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी सदस्यता शुल्क अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर उसे ट्रस्टी सदस्य बना सकेगा।

11– ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता व ट्रस्ट विरोधी कार्य करने पर उसे ट्रस्ट की सदस्यता से हटा सकता है।

12– ट्रस्ट विरोधी कार्य एंव अनुशासनहीनता करने पर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना ।

13– ट्रस्ट के हितार्थ अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट की उन्नति एंव विकास मे सहायक हो।

14– ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये दान/चन्दा/अनुदान आदि मद मे धन संग्रह करना। ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय व हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा और नियमित रूप से विधि अनुसार आडिट आदि करायेगा। ट्रस्ट के आय व्यय बही पत्रो आदि सभी अभिलेखो को अपनी अभिरक्षा मे रखना।

Abutalib

Abutalib

15– ट्रस्ट के हितार्थ अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट की उन्नति एंव विकास मे सहायक हो।

सहसचिव–

सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे उनके द्वारा लिखित रूप मे सौपे गये कार्य करना, सामान्य स्थितियो मे सचिव/प्रबन्धक का सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष–

सचिव/प्रबन्धक के मार्गदर्शन एंव सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये धन संग्रह करना। कोषाध्यक्ष संस्था के सम्पूर्ण आय व्यय व हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा और नियमित रूप से सचिव/प्रबन्धक के मार्गदर्शन एंव सहमति से विधि अनुसार आडिट आदि करायेगा। ट्रस्ट के आय व्यय बही पत्रो की वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जॉच हेतु मुख्य ट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अपने पास आकस्मिक व्यय के लिये अधिकतम 2500/–नकद रख सकेगा और इस धनराशि का उपयोग आवश्यक होने पर ट्रस्ट के कार्यो मे कर सकेगा।

15– अ– ट्रस्ट द्वारा संचालित किये जाने वाले विधालयो, महाविधालयो, तकनीकी संस्थानो व अन्य संस्थाये जो ट्रस्ट द्वारा संचालित की जायेगी की प्रबन्ध समितियो मे आवश्यक होने पर मुख्य ट्रस्टी ही अनिवार्य रूप से आजीवन प्रबन्धक/ सचिव पद पर रहेगा, प्रबन्धक/सचिव ही ऐसे विधालयो, महाविधालयो, तकनीकी संस्थानो सहित अन्य संस्थानो का प्रबन्धक/सचिव होगा, अन्य पदाधिकारियो और सदस्यो के लिये मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे ट्रस्टी सदस्यो मे से मनोनीत कर सकेगा।

ब– ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो, धमार्थ संस्थाओ मे तीन पदाधिकारी होगे जिसमे प्रबन्धक/सचिव का पद आजीवन मुख्यट्रस्टी के पास रहेगा तथा शेष अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सहसचिव और कोषाध्यक्ष का चयन/मनोनयन ट्रस्टी सदस्यो मे से होगा जिन्हे मुख्यट्रस्टी द्वारा नामित किया जायेगा।

स–एच. ए. एस.ग्रुप ऑफ एजूकेशनल ट्रस्ट सृजनकर्ता/संस्थापक/मुख्यट्रस्टी सचिव/प्रबन्धक अबूतालिब खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज है ट्रस्ट द्वारा स्थापित समस्त विधालय, इण्टरकालेज, व डिग्री कालेज एंव इंजीनियरिंग कोलज व तकनीकी संस्थान व अन्य शिक्षण संस्थानो, धमार्थ संस्थानो को विधिवत सुचारू रूप से संचालित कराने का पूरा अधिकार व दायित्व अबूतालिब खॉ पुत्र स्व0 अब्दुल सलीम खॉ निवासी ग्राम धवा पोस्ट गंजडुण्डवारा जिला कासगंज उक्त का ही होगा।

16– ट्रस्ट के ट्रस्टियो मे से किसी ट्रस्टी की मुत्यु हो जाने की दशा मे अथवा नैतिक दोष एंव हैसियत से कार्य करने मे असमर्थता की दशा मे ऐसे पद/स्थान रिक्त होने पर ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी को रिक्त स्थान भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

Abutalib

Abutalib

17– ट्रस्ट के आजीवन सदस्यो को ट्रस्ट की सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ट्रस्ट के हित मे निस्तारित करने का अधिकार होगा और इस सम्बन्ध मे मुख्यट्रस्टी का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसा निस्तारित/विक्रय विलेख मुख्यट्रस्टी द्वारा ही निष्पादित किया जायेगा।

18– मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे ट्रस्टी को पद से हटा सकता है अथवा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है जो उक्त ट्रस्ट के लिये अवॉछनीय अथवा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति मे बाधक हो।

19– ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट सम्पत्ति को ऋण के ऐवज मे बन्धक रखने और बन्धक विलेख निष्पादित करने का अधिकार होगा किन्तु मुख्य ट्रस्टी ऋण प्राप्त करने अथवा ऋण के ऐवज मे ट्रस्ट सम्पत्ति को बन्धक रखने के लिये अपनी ओर से किसी भी ट्रस्टी को बन्धक विलेख निष्पादित करने के लिये अधिकृत कर सकेगा।

20–न्यासधारी ट्रस्ट की सम्पत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये करेंगे जिस प्रयोजन के लिये ट्रस्ट घोषित किया गया है।

21–न्यास का विघटन होने की दशा मे भारतीय न्यास अधिनियम के प्रावधानो के अंर्तगत न्यास का विघटन किया जा सकेगा।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यट्रस्टी द्वारा बिना किसी जब्र व दबाव मन बुद्वि तथा इन्द्रियो की स्वस्थ दशा मे लिख दी ताकि सनद रहे और समय पर नसल दर नसल काम आवे।

Abutalib Abutalib

गवाह–

1– कय्यूम अहमद पुत्र श्री मकबूल शाह निवासी ग्राम धवा परगना व तहसील पटियाली जिला कासगंज

2– रबल पुत्र श्री सियाराम निवासी ग्राम धवा, परगना व तहसील पटियाली जिला कासगंज

कय्यूम अहमद रबल

मसविदा तैयार करदा तारिक हसन, एडवोकेट तहसील पटियाली जिला कासगंज।

Hasan

Tariq Hasan Advocate Tehsil Patiyali

आज दिनांक 2-11-15 को फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या IV
जिल्द 07 के पृष्ठ 349 से 374 पर क्रमांक 26
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उ० नि०
पटियाली

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

22. ट्रस्ट के अधिकार एवं कर्तव्य क्रमसंख्या 5 के अनुसार प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ के पत्रांक के अनुसार अग्रलिखित शर्तों/नियमों में यथावत अंगीकृत किया जाता है जो निम्नवत् है।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मैधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/ काउंसिल फॉर दा इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है। तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(ड़) संस्था के शिक्षण एंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी ।

(ज) विद्यालय मे हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है, तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।

(ञ) उपयुर्क्त क्रम क से झ तक कोई परिवर्तन/संसोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति नहीं किया जायेगा ।